मूल प्रार्थना पत्र सं. 32/15
नवीन नं. 92/17

लादी V/S नारायण वगैरह

30/8/24

पत्रावली पेश हुयी उभयपक्ष
पीठासीन अधिकारी अन्य कार्य से व्यस्त
अवकाश में है। पत्रावली साबिक आदेश
दिनांक 22/11/24 को पेश हो।
आदेश से रीडर

22/11/24

पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी अधिवक्ता उपस्थित। अप्रार्थी सं. 1 लगा. 8 को जवाब प्रस्तुत करने हेतु पूर्व में कई अवसर दिये जा चुके हैं, जवाब पेश नहीं किया गया है और ना ही न्यायालय में स्वयं न्यायालय में उपस्थित आये हैं। अतः पर्याप्त अवसर दिये जाने के उपरान्त भी जवाब पेश नहीं करने पर जवाब बंद किया जाता है। अप्रार्थी सं. 9 के फोरमल पक्षकार होने से जवाब पेश करने की आवश्यकता नहीं होने से जवाब बंद किया जाता है। अप्रार्थी सं. 1, 2, 3 व 5 की ओर से वकालतनामा मूल वाद में पेश किया गया है। प्रार्थी व अप्रार्थी सं. 1,2,3 व 5 के अधिवक्ता की बहस सुनी गई।

प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुये निवेदन किया कि प्रार्थी द्वारा ग्राम राजपुरा तहसील भीलवाड़ा की वादग्रस्त भूमि आराजी नं. 578/2 रकबा 4.02 बीघा भूमि, स्वयं की खातेदारी भूमि होने से राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 111-128 के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र सं. 1123/2013 नि.दि. 18/4/2013 की पालना में पत्थरगढ़ी दिनांक 12/3/14 को सम्पादित की गई थी उक्त पत्थरगढ़ी में राजस्व कार्मिकों द्वारा प्रार्थी की खातेदारी की 1 बीघा 2 बिस्वा भूमि पर प्रतिवादीगणों का कब्जा होने का अंकन किया गया था। उक्त पत्थरगढ़ी के अनुक्रम में वादी द्वारा स्वयं की खातेदारी भूमि का भौतिक कब्जा प्राप्त करने के लिये माननीय न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 183 में वाद प्रस्तुत किया गया है। इस प्रकार वादग्रस्त भूमि प्रार्थी की खातेदारी भूमि होने से अप्रार्थी को मूलवाद के निस्तारण तक वादग्रस्त भूमि के अन्यत्र अंतरण नहीं करने, खुर्द-बुर्द नहीं करने, किसी प्रकार का निर्माण कार्य नहीं करने तथा भूमि को क्षतिग्रस्त नहीं करने हेतु पाबंद किया जावे।

अप्रार्थी अधिवक्ता द्वारा बहस का प्रत्युत्तर में निवेदन किया कि वादग्रस्त भूमि पिछले काफी अरसे से

—लगातार—

सहायक कलक्टर
भीलवाड़ा

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व अहकाम हुक्म की ... में जारी
	212 RTA लादी v/s नारायण	
22/11/24	अप्रार्थीगण के कब्जे काश्त में है। भू-प्रबंध बंदोबस्त के द्वारा प्रार्थी की भूमि किसकी खातेदारी में दर्ज कर दी गई, इसके लिये प्रार्थी पृथक् से वाद प्रस्तुत कर अनुतोष प्राप्त करने में सक्षम है। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में जारी अस्थाई स्थगन अस्थाई निषेधाज्ञा को समाप्त किया जावे। प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा रिवटल बहस में निवेदन किया गया कि चूंकि भूमि प्रार्थी की खातेदारी भूमि है तथा प्रार्थी द्वारा सक्षम कार्मिकों से अपनी खातेदारी भूमि की नियमानुसार पत्थरगढ़ी करवाई गई थी। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाकर मूल वाद के निस्तारण तक अप्रार्थीगणों को वादग्रस्त भूमि के अंतरण, निर्माण एवं क्षतिग्रस्त नहीं करने हेतु पाबंद फरमाया जावे। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के अंतिम निस्तारण से पूर्व तीन बिन्दुओं पर गुणावगुण के आधार पर निर्णय किया जाना चाहिये। उक्त तीन बिन्दुओं की विवेचना निम्नानुसार है :- (i) <u>प्रथमदृष्टया मामला</u> :- प्रार्थी द्वारा वादग्रस्त भूमि की जमाबंदी पेश कर स्वयं की खातेदारी भूमि होने तथा नियमानुसार न्यायालय से पत्थरगढ़ी प्रार्थना पत्र पर आदेश पारित कराकर सक्षम कार्मिकों से स्वयं की खातेदारी भूमि पर अप्रार्थीगणों का कब्जा होना की रिपोर्ट। दस्तावेज पेश किये है। अतः प्रकरण में प्रथमदृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष में सिद्ध होता है। (ii) <u>अपूरणीय क्षति</u> :- प्रार्थी की खातेदारी की वादग्रस्त भूमि को यदि अप्रार्थी द्वारा कब्जे के आधार पर दीवार [illegible] को अन्तरण अथवा भूमि को खुर्द-बुर्द कर दिया जाता है। इसके अतिरिक्त यदि अप्रार्थी द्वारा	

—लगातार—

22/11/24
सहायक कलक्टर
भीलवाड़ा

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो हुक्म की तामील में जारी हुए
	लादी v/s नारायण	

22/11/24

प्रार्थी की खातेदारी की वादग्रस्त भूमि पर किसी प्रकार का निर्माण कर लिया जाता है तो भूमि की प्रकृति ही बदल जायेगी। प्रार्थी द्वारा पत्रावली के मौके पर्चे में राजस्व कार्मिकों द्वारा उसकी खातेदारी भूमि पर कब्जा होने की पुष्टि प्रस्तुत की है। अतः प्रकरण में प्रार्थी की खातेदारी भूमि के खुर्द-बुर्द होने अथवा निर्माण होने पर प्रार्थी को अपूरणीय क्षति होना प्रथम दृष्टया सिद्ध होता है। अतः प्रकरण में अपूरणीय क्षति का बिन्दु भी अप्रार्थी के विरूद्ध साबित होता है।

(iii) सुविधा का संतुलन :- प्रार्थी प्रकरण में प्रथमदृष्टया मामला एवं अपूरणीय क्षति का बिन्दु अपने पक्ष में साबित करने में सफल रहा है। चूंकि वादग्रस्त भूमि प्रार्थी की खातेदारी भूमि है, अतः सुविधा का संतुलन का बिंदु भी प्रार्थी के पक्ष में बखूबी प्रमाणित होता है।

उपरोक्तानुसार पत्रावली की बहस के मनन एवं चिंतन उपरान्त उपरोक्त तीनों बिन्दुओं :- प्रथमदृष्टया मामला, अपूरणीय क्षति एवं सुविधा का संतुलन का बिंदु प्रार्थी अपने पक्ष में साबित करने में सफल रहा है। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम स्वीकार किया जाना उचित है।

आदेश

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा-212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम स्वीकार किया जाता है तथा अप्रार्थी सं. 1 लगा. 8 को तात्कालिक पाबंद किया जाता है कि वादग्रस्त भूमि का किसी व्यक्तियों के पक्ष में अन्तरण नहीं करे तथा वादग्रस्त भूमि पर किसी प्रकार का निर्माण नहीं करे तथा वादग्रस्त भूमि को

—लगातार—

सहायक कलक्टर
भीलवाड़ा

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व अहकाम हुक्म
	लादी v/s नारायण	
22/11/24	क्षतिग्रस्त नहीं करें। निर्णय बर इजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो तथा नम्बर से कम हो। [signature] 22/11/24 सहायक कलक्टर भीलवाड़ा	